


राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र हाथीतला पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 08.05.2018 को अटल सेवा केन्द्र हाथीतला पर पत्रावली पेश हो।




उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बाडमेर

08.05.2018

यह पत्रावली अटल सेवा केन्द्र हाथीतला मुख्यालय पर पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण ने सरपंच ग्राम पंचायत हाथीतला द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 48 दिनांक 06.04.2018 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है, जो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थीगण ने उक्त आदेश की पालना को अपील के निर्णय तक स्थगित रखे जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की सुनवाई हेतु सम्मन तलबाना पेश करने हेतु समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी प्रार्थीगण ने न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई है एवं न्यायालय का अनावश्यक समय बर्बाद किया गया है। प्रार्थीगण ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार की रूची नहीं ली और न ही प्रकरण को निपटाने में न्यायालय का सहयोग किया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर अदम तकमिल में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी,
(एसडीओ) बाडमेर

